

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2021

जयपुर, दिनांक : 09.05.2021

आदेश

कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 28.04.2021 के द्वारा श्रीमती टीना डाबी, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग की सेवाएँ कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी रूप से सौंपी गई है।

श्रीमती टीना डाबी, श्री आलोक रंजन, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।



(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. एस. सी. एल, मुख्यालय, जयपुर
11. श्रीमती टीना डाबी, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग
12. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
13. निजी / रक्षित पत्रावली



(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव